

अनुमोदन हेतु पत्र

पत्रांक :- 5/4047 (टी0एस0पी0) आ0-46/2014-15..... 03 (5) /रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार झा,
सरकार के अपर सचिव।

Fax
E-mail

सेवा में,

सभी समाहर्ता,
बिहार।

विषय :-

मुख्य शीर्ष 4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-796-जनजाति क्षेत्र उप योजना-0101-गृह विहिनों के लिए वास भूमि माँग-40 विपत्र कोड-P4047007960101 विषय शीर्ष-5302 भू-अर्जन अंतर्गत वित्तीय वर्ष-2014-15 में कुल 1,30,77,000/- (एक करोड़ तीस लाख सतहत्तर हजार) रुपये मात्र का आवंटन।

पटना-15, दिनांक- 8/1/15

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-08(8)/रा0 दिनांक-06.01.2015 के आलोक में बिहार गृह स्थल क्रय निति 2011 के अंतर्गत टी0एस0पी0 योजनान्तर्गत गृह विहिन परिवारों के लिए वास भूमि उपलब्ध कराने हेतु कुल 1,30,77,000/- (एक करोड़ तीस लाख सतहत्तर हजार) रुपये मात्र निम्न रूप से आवंटित की जाती है :-

क्र0	जिला का नाम	स्वीकृत राशि (रुपये में)	आवंटित राशि (रुपये में)
1	2	3	
1	प0 चम्पारण	1500000	1500000
2	कटिहार	1000000	1000000
3	पूर्णियाँ	1000000	1000000
4	बाँका	600000	600000
5	सीवान	600000	600000
6	जमुई	600000	600000
7	भागलपुर	500000	500000
8	किशनगंज	500000	500000
9	गोपालगंज	500000	500000
10	कैमूर	500000	500000
11	अररिया	400000	400000
12	सारण	357000	357000
13	रोहतास	320000	320000
14	बक्सर	300000	300000
15	मुंगेर	300000	300000

16	भोजपुर	300000	300000
17	मधेपुरा	300000	300000
18	पू० चम्पारण	300000	300000
19	सुपौल	300000	300000
20	पटना	200000	200000
21	लखीसराय	200000	200000
22	सहरसा	200000	200000
23	मुजफ्फरपुर	200000	200000
24	मधुबनी	200000	200000
25	गया	200000	200000
26	सीतामढ़ी	200000	200000
27	दरभंगा	200000	200000
28	वैशाली	200000	200000
29	नवादा	200000	200000
30	समस्तीपुर	100000	100000
31	बेगूसराय	100000	100000
32	नालन्दा	100000	100000
33	जहानाबाद	100000	100000
34	औरंगाबाद	100000	100000
35	खगड़िया	100000	100000
36	शेखपुरा	100000	100000
37	अरवल	100000	100000
38	शिवहर	100000	100000
कुल योग :-		1,30,77,000	1,30,77,000

(एक करोड़ तीस लाख सतहत्तर हजार) मात्र।

- राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में की जायेगी तथा निकासी की गई राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य हेतु ही किया जाएगा।
- राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 वि० (2) दिनांक-17.04.1998 एवं पत्र संख्या-6720 (वि०) दिनांक-25.07.2014 के आलोक में किया जा रहा है।
- राशि की निकासी के समय विपत्र पर मांग संख्या, इकाई का कोड एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।
- राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के सातवीं तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय।
- इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

(विनोद कुमार झा),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- ०३ (५) / रा०, पटना-15, दिनांक- 8/1/15
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार झा),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- ०३ (५) / रा०, पटना-15, दिनांक- 8/1/15
प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, (बजट) बिहार, पटना सम्बन्धित सभी कोषागार पदाधिकारी/विभागीय प्रशाखा-8/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार झा),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- ०३ (५) / रा०, पटना-15, दिनांक- 8/1/15
प्रतिलिपि :- सम्बन्धित सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार झा),
सरकार के अपर सचिव।